R.N.I. No.: UTTHIN/2015/63078

डाक पंजीयन :- UA/DO/DDN/25/2021-2023

श्रमयोग पत्र

सेवा में

.....

.....

.....

.....

वर्ष : 06 अंक : 11 (हिन्दी मासिक) देहरादून, 01 फरवरी 2021 मूल्य - 5.00 ₹ प्रति पृष्ठ-8 वार्षिक मूल्य -100 ₹

सार्वजनिक सम्पत्तियों की बिक्री पर दांव

श्रमयोग पत्र ब्यूरो

केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट भारी मात्रा मे कर्ज लेने व सार्वजनिक सम्पत्तियों की बिक्री के दांव पर टिका है। सरकार ने वर्ष 2021-22 में विनिवेश के द्वारा 175000 करोड़ रूपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर भारत के दौर में सरकार सार्वजनिक सम्पत्तियों की बिक्री जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम व कुछ बैकों का विनिवेश भी शामिल है के द्वारा आत्मनिर्भरता के उलट खेल खेल रही है।

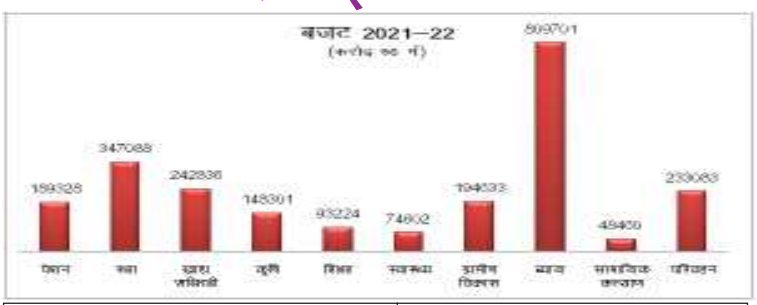

योजनाएं	आवंटन (करोड़ रु0 में)
मनरेगा	73000
प्रधामंत्री किसान सम्मान निधि	65000
जल जीवन मिशन	50011
प्रधान मंत्री आवास योजना	27500
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15000
राष्ट्रीय आजीविका मिशन	14473
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9200
दूरसंचार अवसंरचना सृजन	9000
पशुधन स्वास्थ्य	1470
महिला संरक्षण व सशक्तिकरण	48

विभिन्न मदों में आवंटन

बजट में बेरोजगारी को कम करने के लिये विशेष उपाय नहीं दिखते। लॉकडाउन के दौरान अपना रोजगार खो चुके लोगों को बजट से भारी निराशा हुई है। वेतनभोगी वर्ग को भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब पेंशन व ब्याज से आय पर कर नहीं देना होगा।

कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में आंवटन पिछले वित्तीय वर्ष से कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य में आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित बजट 82445 करोड़ से 10 प्रतिशत कम है और यह यह कुल बजट का 2.14 प्रतिशत ही है जो दुनिया भर में अपने नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने वाले देशों से बहुत कम है। 35000 करोड़ रू0 कोविड टीकाकरण के लिए रखा गया है। पेट्रोल पर रू0 2.50 व डीजल पर रू0 4.00 सेस लगाया गया है।

मनरेगा अभी भी 73000 करोड़ रु0 के आवंटन के साथ सर्वाधिक आवंटन वाली योजना बनी हुई है। बजट में अलग-अलग योजनाओं के लिये निम्न प्रावधान किये गये हैं।

श्रमयोग का मंथन शिविर सम्पन्न

शिविर में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

श्रमयोग पत्र ब्यूरो

गिगंडे गाँव में स्थित श्रमयोग के क्षेत्रीय कार्यालय सल्ट में 25-31 जनवरी तक आयोजित 7 दिवसीय मंथन शिविर सम्पन्न हो गया। शिविर में टीम श्रमयोग के सदस्यों ने बीते वर्षो के कार्यों का पुनरावलोकन व आगामी कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा की। शिविर में श्रमयोग के अध्यक्ष डा0 अजय कुमार ने बताया कि श्रमयोग अपने एक दशक की यात्रा पूरी करने जा रहा है। इस दौरान श्रमयोग द्वारा समाज में अब तक किये गये हस्तक्षेप व उसके परिणामों पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

मंथन शिविर में चर्चा करते श्रमयोग के अध्यक्ष डा0 अजय कुमार।

मंथन शिविर में लिये गये निर्णयों के बारे में बताते हुए श्रमयोग के कार्यक्रम समन्वयक प्रकाश काण्डपाल ने बताया कि शिविर में दूने मनोयोग के साथ कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। शिविर में श्रम-जन स्वराज अभियान व प्राकृतिक धरोहर बचाओ अभियान के सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा हुई। तय किया गया कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट व पौड़ी जिले के नैनीडांडा विकास खण्ड के साथ-साथ अन्य विकास खण्डों में भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। शिविर में कहा गया गया कि कार्यक्षेत्र में कृषि-पशुपालन-उद्यानिकी के विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहना होगा। साथ ही संघर्ष की धार को भी तेज करना होगा। दोनों अभियानों के संचालन में श्रम सखियों की भूमिका बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।

शिविर में बताया गया कि इस वर्ष कोविड के भारी प्रकोप के बीच भी रचनात्मक महिला मंच के उपक्रमों श्रम बाजार व श्रम उत्पाद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। शिविर में निर्णय लिया गया कि इन दोनों उपक्रमों से रचनात्मक महिलामंच के अधिकाधिक सदस्यों को जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

शिविर में श्रमयोग संस्थान की आर्थिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस विषय में बताया गया कि कोविड की कठिन परिस्थितियों के दौरान भी संस्थान ने कार्यों का संचालन सुचारु रुप से जारी रखा। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में श्रमयोग समुदाय के सदस्यों को दान हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही श्रमयोग समुदाय के सदस्यों से आव्हान किया गया कि वे ''श्रम सखी'' कार्यक्रम के विकास हेतु आर्थिक सहयोग करें।

ज्ञातव्य है कि मंथन की शुरूआत स्वयं सहायता समूहों की बैठकों में गत दिसम्बर माह से हो गई थी। समूहों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर मंथन शिविर में चर्चाएँ की गई। शिविर सें निकल कर आये मुद्दों को 11 फरवरी (श्रमयोग स्थापना दिवस) के दिन रचनात्मक महिला मंच की कार्यकारिणी बैठक में अनुमोदन के लिये रक्खा जायेगा व मंच की बैठक मे लिये गये निर्णयों के अनुरूप आगे कार्य किये जायेंगे।

छठे वर्ष में श्रमयोग पत्र

प्रिय साथियो,

श्रमयोग पत्र अपने छठे वर्ष में है। यह छठे वर्ष का ग्यारवां अंक है। श्रमयोग पत्र में लिखने से लेकर इसके प्रचार-प्रसार व संचालन का कार्य करने वाले हम सभी साथियों के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र अब से पाँच वर्ष पूर्व बिल्कुल नया था। हमारे पास उत्साह व समर्पण तो था परन्तु हम न तो लिखना जानते थे, न पत्रकारिता का कहकहा। बीते पांच वर्ष में हमने श्रमयोग पत्र की पाठशाला में सामुदायिक पत्रकारिता के प्राथमिक पाठ पढ़े। हम आज भी नित नई चीजें सीख रहे हैं। इन पाँच वर्षों में हमने अपने पाठकों के साथ संवाद करना सीखा। अपने समुदाय की जरूरतों के विषयों पर लिखने की कोशिश की व सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमने पढ़ा।

साथियो, आज हमारे समुदाय जहाँ एक ओर अपने रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों को हल करने के लिए संगठित प्रयासों से आगे बढ़ रहे हैं वहीं कई चुनौतियाँ हमारा पीछा कर रही हैं। धर्म व जाति के आधार पर समाज को बांटने के कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में बेरोजगारी व मजदूरों का शोषण अपने चरम पर है। किसान आन्दोलनरत हैं क्योंकि सरकार खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं को हल करने में असफल साबित हुई है। ऐसे में समुदायों की आपसी एकता भरोसा जगाती है। सामुदायिक पत्रकारिता इस दौर में हमारी ताकत है। इसके लिये हमें अपने पढ़ने व लिखने के कार्य को और तेज करना होगा। श्रमयोग पत्र के माध्यम से सामुदायिक पत्रकारिता आन्दोलन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है।

साथियो, श्रमयोग पत्र श्रमयोग समुदाय के सदस्यों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण जरिया है। हम आज भी श्रमयोग पत्र का संचालन सिर्फ आपके द्वारा अदा किये जाने वाले सदस्यता शुल्क से करते हैं व गैर-लाभकारी समाचार पत्र हैं। हम इस पत्र में निशुल्क सामुदायिक विज्ञापनों के अतिरिक्त धन लेकर किसी तरह के सरकारी या निजी विज्ञापन नहीं छापते। पत्र की वार्षिक सदस्यता ₹100 व आजीवन सदस्यता ₹1000 है। आपके द्वारा ग्रहण की गयी पत्र की सदस्यता सामुदायिक पत्रकारिता के उत्थान की इस मुहिम को मजबूत करेगी। बीते पांच वर्षों में आपसे मिले हर तरह के सहयोग के लिये आभार।

शुभ कामनाओं सहित

सम्पादक।

भीतर के पृष्ठों में

- एक मुलाकात हसुली अम्मा के साथ – पृष्ठ 2
- श्रमयोग के साथ मेरा सफर – पृष्ठ 3
- कहानी गुलकी बन्नो – पृष्ठ 4
- प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त – पृष्ठ 5
- कार्य क्षेत्र से मासिक रिपोर्ट – पृष्ठ 6
- किसानों को उत्तराखण्ड के नागरिकों समर्थन – पृष्ठ 7

मौसम का हाल

शिशिर ऋतु चल रही है। वसन्त आने को है। दोनों ही ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त मानी गई हैं। फरवरी माह में तापमान में कुछ वृद्धि होने की सम्भावना है। ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फवारी होने की सम्भावना है। तराई क्षेत्र में कोहरा व पर्वतीय क्षेत्र में पाला पड़ने की सम्भावना है।

फरवरी माह-सावधानियाँ

ठण्ड में शरीर की सुरक्षा करें। ठण्डे जल से स्नान न करें। समय-समय पर साबुन से हाथों को धोयें। जरुरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर मास्क अवश्य पहनें। शारीरिक दूरी बनाए रक्खें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रक्खें। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पियें।

फरवरी माह में विशेष दिवस

12 फरवरी	–	डार्विन दिवस
16 फरवरी	–	वसन्त पंचमी
14 फरवरी	–	संत वैलेन्टाइन दिवस
27 फरवरी	–	विश्व एन0जी0ओ0 दिवस
27 फरवरी	–	टीम श्रमयोग बैठक
28 फरवरी	–	श्रम सखी प्रशिक्षण दिवस
28 फरवरी	–	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

सम्पादकीय

मजबूत होता किसान आन्दोलन

किसान आन्दोलन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद जिस तरह आन्दोलन के नेतृत्व ने साहस और सूझबूस का परिचय दिया वह काबिले गौर है। नेतृत्व ने सर्वप्रथम यह कहा कि हमारा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, जो सही भी है, पर भरोसा किया जाना चाहिये। बड़े आन्दोलनों में कुछ तत्व ऐसे आ जाते है जो नेतृत्व की मर्जी के बगैर भी कार्यों को करते हैं, खैर आन्दोलन पूरे अनुशासन से चल रहा है।

26 जनवरी के बाद उत्तराखण्ड की तराई, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में जिस तरह आन्दोलन का प्रसार हुआ है। उससे अब यह कहा जा सकता है कि यह आन्दोलन एक-दो राज्यों का नहीं है। इसके अतिरिक्त किसानों को देशभर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। प्रत्येक राज्य के किसानों के लिये उत्तराखण्ड की तराई, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों की तरह बडी संख्या में दिल्ली पहुँचना सम्भव नहीं है। परन्तु जिस तरह से वे अपने राज्यों में रैलिया कर रहे हैं व संयुक्त किसान मोर्चा को अपना समर्थन व्यक्त कर रहे है वह बेमिसाल है। यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी किसानों को समर्थन मिल रहा है।

पिछले दो माह से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान जिस संयम और अनुशासन के साथ अपना आन्दोलन कर रहे है। वह अन्य आन्दोलनकारियों के लिये एक सीख भी है। इससे यह भी स्पष्ट है कि तीनों कृषि कानूनों पर किसानों ने जो समझ हासिल की है वही उन्हें डटे रहने को प्रेरित कर रही है। किसानों ने जान लिया है कि यह कानून किसानों की खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने का षडयन्त्र है। हालांकि ऐसा कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में भी हो रहा है। इस बजट में पेश किया गया सरकार का विनिवेश प्लान अन्य क्षेत्रों को भी कॉरपोरेट के अधीन करने का षडयन्त्र ही है।

सरकार जिस तरह से किसानों के सामने अड़ी हैं, लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ऐसी जिद का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इन कानूनों को वापस लेकर खुले मन से नये सिरे से इस विषय पर विचार करना चाहिये। इस जिद को किसी भी जनपक्षीय व्यक्ति या संगठन का समर्थन नहीं मिल सकता।

यह अब पूरी तरह पूंजीपति बनाम किसान की लड़ाई बन चुकी है और यह स्पष्ट है कि सरकार पूंजीपतियों की ओर है। इन्हीं पूंजीपति घरानों के मालिक मीडिया समूहों के भी मालिक है सो वे भी पूजीपतियों के हक मे बोल रहे है। हांलाकि जनपक्षीय मीडिया भी पूरी ताकत से किसानों के प्रश्नों को उठा रहा है। यह तो तय है कि जीत किसानों की ही होगी। देखना होगा कि किसानों का नेतृत्व इस पूरे आन्दोलन को कैसे आगे लेकर जाता है।

पाठकों के लिए

श्रमयोग पत्र में अपने प्रिय पाठकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये **'गांव घर की खबर'** नाम से स्तम्भ प्रकाशित किया जाता है। आप समाज, देश, गांव, खेती, राजनीति, मानव मूल्य आदि किसी भी विषय पर अपनी बेबाक राय हमें भेजें। हमें इसे प्रकाशित करने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। विचार कभी भी दबाए नहीं जाने चाहिये, इन्हें शब्द रूप दें।

-सम्पादक

गांव घर की खबर

कोट जसपुर की चिट्ठी

प्रिय साथियो नमस्कार।

आप सब लोग अपने घर परिवार के साथ कुशल होंगे। वर्ष 2014 से हम लोग श्रमयोग से जुड़े। 2019 तक बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला। समाज में उठना-बैठना, बोलना सीखा। काफी जानकारियाँ मिली। सन् 2020 के कदम रखते ही कोविड-19 महामारी से घर-परिवार तहस नहस हो गये। बहुत ही बुरा हुआ। खुशी इस बात का है कि हम और आप सुरक्षित है। उजाला स्वयं सहायता समूह कोट जसपुर कि सदस्या सीता देवी के दामाद दिल्ली में रहते थे। एक माह से उनकी तबियत खराब होने के कारण उनका देहान्त हो गया। हम समूह की सभी बहनों ने उनके घर जाकर उन्हें सन्तवना दी। जनवरी में उजाला स्वयं सहायता समूह कोट जसपुर की अध्यक्षा निर्मला देवी के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में श्रमयोग के भाई प्रकाश काण्डपाल व आसना उपस्थित थे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर काफी चर्चा हुई। खेती से जुडे और श्रम उत्पाद (हल्दी) को लेकर काफी मुद्दों पर चर्चा हुई। समूह की सभी बहनों ने निर्णय लिया कि हम लोग सामूहिक खेती करेंगे। मार्च के महिने में हम लोग अदरक लगायेगे। तार बाढ़ कि भी चर्चा हुई। महिलाओं का कहना है कि दिन में 12 बजे भी सुअर ने खेतों मे आंतक मचा रखा हैं। तार-बाढ़ करना जरूरी हैं। श्रमयोग से हमें मदद मिलनी चाहिए। अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाने की भी चर्चा हुई।

निर्मला देवी
अध्यक्ष,
रचनात्मक महिला मंच, सल्ट

आपसे निवेदन है

प्रिय मित्रो नमस्कार!

श्रमयोग एक स्वैच्छिक लोक संस्थान है जो विगत 10 वर्षों से भारत वर्ष के उत्तराखण्ड राज्य में पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा एंव पौड़ी गढ़वाल में कार्य कर रहा है। हम स्थानीय समुदाय को मजबूत सामाजिक पूंजी के निर्माण के लिये जन संगठनों में संगठित होने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। श्रमयोग के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में लगभग 60 गाँवों में लोगों (विशेषकर महिलाओं व बच्चों) ने अपने आप को जन संगठनों में संगठित किया है और आज ये संगठन स्थानीय मुद्दो पर अपनी आवाज मुखरता से उठा रहे हैं। आज ये संगठन ''श्रम-जन स्वराज अभियान'' व ''प्राकृतिक धरोहर बचाओ अभियान'' के अन्तर्गत पंचायती राज सशक्तिकरण, स्थानीय संसाधन आधारित आजीविका संवर्धन एंव जल-जंगल-जमीन व जैव विविधता संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे है।

श्रमयोग इन सब गतिविधियों के संचालन हेतु किसी सरकारी एंव गैर सरकारी स्रोत से आर्थिक मदद नहीं लेता, सभी गतिविधियां लोगों के सहयोग से चलती हैं। संस्था जमीन से जुडकर जमीनी मुद्दों पर कार्य कर रही है। जिसका प्रभाव हमारे कार्यक्षेत्र में देखा जा सकता है किन्तु संसाधनों के अभाव में कार्यक्रम का विस्तार एक चुनौती है। क्योंकि कार्यक्रम को सुगम बनाने एंव अभियान को लगातार चलाने हेतु न्यूनतम मानव संसाधनों कि आवश्यकता होती हैं जिन्हें अपने जीवनयापन हेतु एक न्यूनतम नगद आय की आवश्यकता होती है।

लम्बे अनुभव के बाद हमने इस चुनौती से निपटने का एक वैकल्पिक रास्ता खोजा है - ''श्रम सखी''। श्रम सखी 5-6 गावों के बीच एक ऐसी स्थानीय महिला नेता है, जो अभियानों की गतिविधियों को अपना अतिरिक्त समय देती हैं। क्योंकि महिने में अपने समय का एक बडा हिस्सा ये महिलाएं अभियानों को देती हैं, अत: स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर हमने यह तय किया कि इन महिलाओं का निश्चित मासिक मानदेय होना चाहिए, जो रू0 2000 मासिक तय है। वर्तमान में 6 श्रम सखियां अभियान से जुडी हैं। जो अपने घरेलू काम के साथ अभियानों की गतिविधियों में सहयोग कर अपने परिवार के लिए नगद आय भी जुटाती हैं। आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों से आने वाली इन श्रम सखियों को मिलने वाली यह नियमित मासिक आय उनके परिवारों को मजबूती देती है। अपने इस काम से इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और इन्हें समाज में पहचान मिली है।

आपसे निवेदन है कि आप एक श्रम सखी के लिये आर्थिक सहयोग कर इन्हें आगे बढ़ने में सहयोगी बनें। हम इसके लिये आपसे श्रमयोग को रू0 2000 मासिक आर्थिक मदद करने का निवेदन करते हैं। अपनी क्षमता के अनुरुप सहयोग करें। आपका सहयोग इस अभियान के विस्तार में सहयोगी होगा। धन्यवाद

टीम श्रमयोग।

गांव घर की खबर

एक मुलाकात हसुली अम्मा के साथ

सुनीता देवी, श्रमसखी

एक दिन में पल्लीगाँव से बैठक करके आ रही थी, साथ में श्रमयोग साथी राकेश भी थे। राकेश पीपना स्कूल से दाड़मी को चले गये और मैं स्कूल के रास्ते नीचे अपने घर को चली आ रही थी। अचानक मुझे वहाँ पर चौधरू गाँव की हसुली अम्मा बैठी मिली। उन्होंने मुझे बुलाया और पुछा तू आज कहाँ से आ रही है? मैंने अम्मा को प्रणाम कर उनको बताया कि में पल्लीगाँव से बैठक करके आ रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी बैठक? और कैसे-कैसे करते हो बैठक? मैंने उनको बताया कि हम श्रमयोग संस्थान से जुडे हैं और उसी के तहत महिलाओं ने गाँव-गाँव में अपने समूह बनाकर अपनी एकता बनाई है। उन्हीं की बैठक होती है। समूहों से जुड़कर महिलाएं काफी जानकार हो रही हैं। उनको अपना परिचय देना एवं अपनी बात को अन्य लोगों के सामने रखने को साहस हो गया है। हसुली अम्मा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज आप लोग बाहर जा रहे हो और सभी महिलाओं को साक्षरता की ओर ले जा रहे हो।

उन्होंने मुझे अपनी पुरानी बातें बताई - हम लोगों का जीवन तो ऐसे ही घास-लकड़ी, गोबर लाने में व्यतीत हो गया। हम पुराने लोग घास लकड़ी के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते थे। मुझे बताने लगी कि आपके गाँव कुक्ल्याल बाखली से नीचे गधेरे के उस पार जैसे सड़ीपाणी, आमडी, घटापटी अन्य ऐसी जगहों का नाम बताकर रोने लगी। वहाँ से आते-आते बीच में तुम्हारे गाँव के लोग हम पर गुस्सा करते थे कि आप हम लोगों के जंगल मे क्यों आते हो, हम लोग घास लकड़ी के लिए कहाँ जायेंगे। ऐसे वार्तालाप करते-करते हम लोग वहाँ से निकल आते थे। फिर घर में आकर सासा ससुर की डॉट खाते थे कि अब तक कहाँ थे और कितनी देर में घर पहुँच रहे हो। फिर हम सिर में गोबर रख कर सीधे खेतों में चले जाते थे। काम का बहुत बोझ होता था। पेट भर कर खाना भी नहीं होता था, चोरी चुपके जौ की रोटी छुपाकर खेतों में ले जाते थे और वही सभी सहेलियों के साथ खाते थे। ऐसी बातें बताकर काफी इमोशनल हो गयी।

हसुली अम्मा ने कहा कि बाबु ठीक है अब मैं भी अपने घर को जाती हूँ और तू भी जा, अंधेरा होने वाला था। ऐसा कहकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आर्शीवाद दिया कि ऐसे ही तुम लोग आगे बढ़ते रहो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो और समझदार भी इसी तरह आगे बढ़ना। ऐसा कहकर में उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर आ गयी वहाँ से वह अपनी घर को चली गयीं और मैं ग्रामीण जीवन के इन जटिल पहलुओं को सोचते हुए अपने घर आ गयी।

श्रमयोग समुदाय की सदस्यता ग्रहण करें।

साथियों श्रमयोग आपके द्वारा दिये गये आर्थिक सहयोग से ही गतिविधियों का संचालन करता है। हम किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से किसी तरह की आर्थिक मदद प्राप्त नही करते है। अत: अपने अन्य साथियों को भी श्रमयोग समुदाय की सदस्यता लेने हेतु प्रेरित करें। सदस्यता शुल्क रू0 200/- वार्षिक है। प्रत्येक सदस्य तक ''श्रमयोग पत्र'' डाक द्वारा निशुल्क भेजा जायेगा। सदस्यता आवेदन पत्र के लिये आप shramyogcommunity@ gmail.com पर पत्र भेज सकते है। श्रमयोग की गतिविधियों को जानने के लिये www.shramyog.org को देखें।

Build harmony between human and nature

पहला दशक

श्रमयोग के साथ मेरा सफर

अजय कुमार

हम अध्ययन यात्रा की तैयारी में लग गये। श्रमयोग में हमारा यह मत बन रहा था कि ग्राम सभा ही धरातल पर सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने वाली इकाई है। उनकी मजबूती व कार्यशैली विकास के कार्यो के लिये महत्वपूर्ण है। यह तय किया गया गाँव-गाँव जा कर लोगों से बात करेंगे। उनकी दृष्टि से उत्तराखण्ड के पंचायती राज को समझेंगे।

लम्बी चर्चाओं के बाद तय हुआ कि यह अध्ययन यात्रा पंचायती राज के हालातों को जानने के लिये की जायेगी। हम इस तरह के कामों को आगे बढ़ाना चाहते थे। यहीं से भविष्य के काम का रास्ता भी मिल सकता था। उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2000 में बना था। राज्य की स्थापना के बाद 2013 तक पर्वतीय जिलों में पंचायती राज व्यवस्था पांच-पांच वर्षों के दो कार्यकाल पूरे कर चुकी थी। अत: पंचायतों के इन दस वर्षों के कार्यकाल को आधार बना कर 16 से 22 दिसम्बर, 2013 तक 7 दिवसीय अध्ययन यात्रा करने का निर्णय लिया गया।

अध्ययन यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने व उत्तराखण्ड में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति का सहभागी विश्लेषण करना तय किया गया। यह यात्रा गढ़वाल मण्डल के चमोली जिले के गैरसैंण व कुमांयू मण्डल के अल्मोड़ा जिले मे सल्ट विकास खण्ड की कई पंचायतों से होकर गुजरी। यात्रा उत्तरी झूमाखेत, तल्ला झूमाखेत, कुशरानी, बच्छुआबान, काने खलपाटी, मंटवास, रिक्कांसी, थला मनराल, ड्योना भिने इत्यादि पंचायतों में गयी व लगभग 1000 व्यक्तियों ने चर्चा मे भाग लिया। हमने गाँवों में उनके

रिंकवासी गांव में अध्ययन यात्रा के दौरान श्रमयोग के अध्यक्ष डा0 अजय कुमार।

तोकों में जगह-जगह कहीं बड़े समूहों में तो कहीं छोटे छोटे समूहों में ग्रामीणों से चर्चाएँ की। हमने एक प्रश्नावली भी तैयार की थी। जिसको आधार बना कर हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे। विभिन्न पंचायतों के क्षेत्रों में ग्राम सभा के सदस्यों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों यथा वार्ड मेम्बर, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों से चर्चा की गई। कुछ गाँवों में ग्रामीण हमसे पूछते कि तुम कौन हो। तुम्हें बता कर क्या होगा। बात ऊपर तक पहुँचेगी कि नहीं। हमने लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अपना मत व उद्देश्य रखा। सरकार के पक्ष को समझने लिये खण्ड विकास अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को भी चर्चा में शामिल किया गया।

अध्ययन यात्रा के दौरान चर्चा में निकल कर आये तथ्य चौंकाने वाले थे। उन्होंने उत्तराण्ड में पंचायती राज के हाल को उघाड़ कर हमारे सामने रख दिया। उत्तराखण्ड में पंचायती राज बदहाल मिला। ज्यादातर जगहों पर पिछले तीन वर्षों में ग्राम सभा की खुली बैठकें नहीं हो रही थी। वार्ड मेम्बरों को पंचायतों की मासिक बैठकों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। खण्ड विकास कार्यालय स्टाफ की कमी से बुरी तरह जूझ रहे थे। एक ग्राम विकास अधिकारी 15-20 पंचायतों का कार्य भार सम्भाले किसी तरह पंचायती राज की महान व्यवस्था को ढो रहे थे। यात्रा में कई चौंका देने वाली जानकारियां मिली। कई पंचायतों में ऐसे वार्ड मेम्बर मिले जिन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उनके पास पिछले पांच वर्षों तक वार्ड मेम्बर पद की जिम्मेदारी थी। सविंधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय जिन पर पंचायत को काम करने का अधिकार है उन पर पंचायत प्रतिनिधियों के पास जानकारी का नितान्त अभाव पाया गया।

मनरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है व इसके अन्तर्गत ग्रामीणों को काम मांगने का हक है। इस विषय पर ग्राम सभा के सदस्य अनभिग्य पाये गये। जिस वजह से कई पंचायतों में ग्रामीण परिवारों की पांच वर्षो में 15-20 दिन का काम मनरेगा में मिल पाया था। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के बीच सम्बन्ध व उनकी जिम्मेदारियों पर ग्राम सभा के सदस्य अनभिग्य पाये गये। इस यात्रा में साथी शंकर दत्त, देवकी देवी, सुशीला देवी, अनिल जोशी, डा. विनोद पाण्डे, प्रकाश काण्डपाल, सुरेन्द्र सिंह, भगा देवी व मैं स्वयं शामिल थे। यात्रा के दौरान श्रमयोग द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों एवं युवा मंच के सदस्यों ने भी भागीदारी की। यह यात्रा महत्वपूर्ण रही जिसने आगे की अनेक अध्ययन यात्राओं के लिये भी मार्ग बनाया। श्रमयोग में अब तक हम ऐसी छ: अध्ययन यात्राएं कर चुके हैं।

ऐसा लगा इस अध्ययन यात्रा ने हमें काम करने के लिये रास्ता दे दिया। तय किया गया कि यात्रा के परिणामों को आमजन के बीच रख कर भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जायेगी। यात्रा के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिये हम तैयारी करना चाहते थे। सर्वत्र सामुदायिक संगठनों का अभाव भी अध्ययन यात्रा के दौरान पाया गया था। इसी लिये इन विषयों पर कोई बोल नहीं रहा था। हमने सर्वप्रथम सल्ट के उन 12 गाँवों में महिलाओं व पुरूषों को संगठित करना प्रारम्भ किया जहां हम अध्ययन यात्रा के दौरान गये थे।

हमने परिणामों के विश्लेषण में अच्छा खासा समय लगाया। तय किया गया कि 6 अप्रैल 2014 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काने में यात्रा के परिणामों को प्रस्तुत करते हुए भविष्य की कार्य योजना पर आम जन के साथ चर्चा की जायेगी।

क्रमश:

क्या 26 जनवरी किसान सत्याग्रह का चौरी-चौरा क्षण है ?

बिजू नेगी

भारत की आजादी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में तीन बड़े सत्याग्रहों में से पहला, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसके तहत, लोगों को सरकार व उसके काम काज से असहयोग करना था- जैसे अपनी सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना, अपनी उपाधियों व सुविधाओं को लौटाना, सरकारी स्कूल-कॉलेजों का बहिष्कार करना, सुरक्षा बलों में नौकरियां नहीं करना व यहां तक कि कर देने से भी मना करना। इन सबमें, गांधीजी का जोर था कि आंदोलन शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक रहेगा।

शुरू फरवरी 1922 में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाहर ही चौरी-चौरा में लोग अपने स्थानीय मुद्दों व समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलीस ने लाठिंया भांजी और प्रदर्शन के नेताओं को गिरफ्तार किया। 4 फरवरी को लोग अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर चौरी-चौरा थाने के सामने प्रदर्शन को इकट्ठा हुए कि पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। रोष में लोगों ने थाने को ही आग लगा दी जिसमें उसके भीतर सभी पुलिसकर्मी व कर्मचारी - कुल 23 - जल कर राख होगये।

इस घटना से, खासकर लोगों की ओर से हिंसा से आहत, गांधी ने उसे अपनी व आंदोलन की 'असफलता' मानते हुए और यह कि लोग अभी अहिंसात्मक संघर्ष के लिए तैयार नही हुए हैं, उपवास पर बैठ गये और 12 फरवरी को उन्होने सत्याग्रह को वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे कांग्रेस के तत्कालीन अधिकांश नेता नाराज भी हुए। उनका कहना था कि गांधीजी का यह निर्णय जल्दी में लिया गया है जिससे असहयोग आंदोलन के जरिए लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने में जो सफलता हासिल हो सकी थी, उस पर रोक लग जाएगी।

उधर, अंग्रेज सरकार ने इलाके में तुरंत मार्शल लॉ लगा दिया और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। ''आगजनी व दंगा करने'' के इल्जाम में 200 से अधिक लोगों पर कानूनी कार्यवाही की गयी। केस करीब आठ महीने चलने के बाद 172 लोगों को फांसी की सजा सुनायी गयी। अप्रैल 1923 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस निर्णय की समीक्षा कर 19 लोगों की मौत की सजा बरकरार रखी, 110 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी व बाकियों को अलग-अलग अवधि का कारावास हुआ।

उसी साल, सरकार ने चौरी-चौरा थाने के प्रांगण में मरे 23 पुलिस कर्मियों की स्मृति में स्मारक बनाया। उसके 50 साल बाद, 1973 में, फांसी पर चढ़े 19 लोगों की याद में थाने के सामने, सड़क के दूसरी ओर एक शहीद स्मारक बनाया गया।

हाल की में, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ''किसानों की ट्रैक्टर शोभा चात्रा'' के दौरान हुई अफरा-तफरी व हिंसा को क्या हम, किसानों का सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह का चौरी-चौरा क्षण कह सकते हैं ?

संभवत: हाँ, जिस तरह सरकार की प्रतिक्रिया रही व आगे वो जो करेगी। संभवत: नहीं, जिस तरह किसान नेताओं की प्रतिक्रिया होगी। हाँ, क्योंकि पिछले दो महीनों में सरकार ने सत्याग्रह को तोड़ने के लिए क्या-क्या हत्कण्डे नही अपनाए थे। और नहीं, क्योंकि किसानो के नेताओं में कोई नहीं है जिसकी गांधीसी नैतिक प्रतिष्ठा व अधिकार हो।

निसन्देह, चूंकि अधिकांश मीडिया सरकार की गोद में है, 26 जनवरी के हादसे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से ही सवाल किया जा रहा है। मीडिया में खबरों से तो लगता है कि मोर्चा कुछ कमजोर पड़ा है और पिछले दो महीनों से सत्याग्रह में उसे जो नैतिक बढ़त व सार्वजनिक समर्थन मिल रहा था उसमें कुछ कमी आयी है- बावजूद इसके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत के पीछे अब वहां से हजारों-हजार किसान सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। साथ ही, सत्याग्रह को तोड़ने में सरकार द्वारा कार्यवाही व दमनकारी उपायों में एकाएक तेजी आयी है। बहरहाल, किसानों के पक्ष को लेकर, इसके अतिरिक्त कुछ कहना सही नही होगा, क्योंकि अभी अगर-मगर की स्थिति बनी हुई है और कई बातों का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।

हां, यह कहना जरूरी लगता है, और कोई भी समाजशास्त्री स्वीकार करेगा कि तीन दर्जन से अधिक संघ, उनसे जुड़े सैकड़ों संगठन और लाखों लोग-तथा साथ ही, मुद्दे की गंभीरता व आंदोलन का उत्साह- ऐसे में कभी भी कुछ अनहोनी हो जाने की संभावना पूरी होती ही है और सरकार भी इस बात से अनभिज्ञ नही थी। याद करें बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को लेकर रामजन्म भूमि के मसले से जुड़े नेताओं व विशेषकर लालकृष्ण अडवाणी ने उस समय क्या कहा था! उन्होंने कहा था कि मस्जिद का गिराया जाना सुनियोजित न होकर, उस क्षण के ताप के फलस्वरूप था और उसे कार सेवकों ने स्वत: ही, गुस्से व भावावेष में वैसा कर डाला था। आज केन्द्र में उन्ही की पार्टी की सरकार है। बेहतर होगा कि सरकार उस समय के उपरोक्त कथन व दलील को याद रखे!

लेकिन सरकार, किसी भी सरकार की तरह, इस क्षण को अपने हाथ से निकलने नही देगी और उसकी प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही अधिकाधिक सख्त व दमनकारी हो सकती हैं। हो सकता है कि 26 जनवरी की घटना जानबूझ कर या उसके समर्थकों द्वारा ही करायी या की गयी हो। और यह इल्जाम सही नही भी हो तो भी इतना तो है ही कि सरकार इस तरह का कुछ होने की तलाश मे 'तो थी ही, कि किसानों से कहीं चूक हो जाए, कि कहीं कुछ हिंसा भड़क जाए। उससे कुछ ही दिन पहले सत्याग्रह स्थल पर एक आदमी पिस्तौल के साथ पकड़ा भी गया था।

सरकार की यह अधिकाधिक कोशिश रहेगी कि कथानक तीन कानूनों से हटकर, 26 जनवरी की घटना पर केन्द्रित हो और उसी के आधार पर राजनैतिक व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह राजनैतिक व कानूनी कार्यवाही अविलंबित व त्वरित होगी। पुलिस व प्रशासन की कमी या गलतियों पर कोई सवाल नही उठाया जाएगा।

किसान संगठनों व स्वयं किसानों के लिए आने वाला दौर अनिश्चितताओं, आंतरिक सवालों व असंतोष तथा सरकार के राजनैतिक व कानूनी कदमों से होने वाली परेशानियों का होगा। किसानों की स्थिति को हम एक उदाहरण से देखें, जिसे हम पहाड़ के लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसी जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। हमें दूर किसी चोटी पर पहुंचना है और हमें वह गंतव्य साफ दिख रहा है और यह भी दिख रहा है कि वहां पहुंचने के पहले बीच में सिर्फएक ही पहाड़ है पार करने को लिए। लेकिन जैसे ही हम उस बीच के पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें एकाएक सामने दिखता है कि अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वास्तव में अभी और भी बहुत घाटियां व पहाड़ हैं बीच में पार करने के लिए।

आने वाला समय किस करवट बैठैगा और इस व अन्य गतिरोधों से किसान कैसे उबरेंगे, सत्याग्रह आगे किस तरह जारी रहेगा, यह बहुत कुछ किसान नेताओं की सूझबूझ, विवेक, दूरदृष्टि, तीन कृषि कानूनों पर उनकी एकाग्रता तथा उनकी बरकरार एकता व दृढ़-निश्चय पर निर्भर करेगा। और निर्भर करेगा शांति व अहिंसा के प्रति उनकी निष्ठा पर।

एक समय की प्रसिद्ध हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के सम्पादक धर्मवीर भारती हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, लेखक व नाटककार भी रहे। यहां उनकी लिखी कहानी गुलकी बन्नो की पहली किश्त प्रस्तुत है।

गुलकी बन्नो

धर्मवीर भारती

''ऐ मर कलमुंहे!'' अकस्मात् घेघा बुआ ने कुड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, ''तोरे पेट में फोनोगिराफ उलियान बा का, जौन भिनसार भवा कि तान तोड़ै लगा? राम जानै, रात के कैसन एकरा दीदा लागत है!'' मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सब कूड़ा उसी के सर पर न फेक दें, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अन्दर गईं कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ, पैर झुलाते हुए उसने उल्टा-सुल्टा गाना शुरू कर किया, ''तुमें बछ याद कलते अम छनम तेरी कछम!'' मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहाँ से झबरी कुतिया भी कान-पूंछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अन्दाज में सुनने लगी जैसे हिल मास्टर्स वॉयस के रिकार्ड पर तस्वीर बनी होती है।

अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा (असली नाम मिहिरलाल) जागता था और आँख मलते-मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक-एक कर गली के तमाम बच्चे-खोंचेवाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निरमल, मनीजर साहब के मुन्ना बाबू-सभी आ जुटते थे। जबसे गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से यह जमावड़ा वहाँ होने लगा था। उससे पहले बच्चे हकीमजी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे, डण्डा टेकती आती ओर अपनी दुकान फैला देती, मूली, नीबू, कद्दू, लौकी, घिया-बण्डा, कभी-कभी सस्ते फल! मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल-गलकर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ते नहीं देता था।

आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मिरवा गाना छोड़कर ''छलाम गुलकी!'' और मटकी अपने बढ़ी हुई तिल्लीवाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली,'' एठ ठो मूली दै देव! ए गुलकी!'' गुलकी पता नहीं किस बात से खीजी हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डण्ड उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दुहराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियाँ देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप रही फिर उसने रट लगाना शुरू किया। ''एक मूली! एक गुलकी!.....एक'' गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, ''हाथ हटाओं, छूना मत, कोढ़िन कहीं की! कहीं खाने-पीने की चीजे देखी तो जोंक की तरह चिपक गई, चल इधर!'' मटकी पहले तो पीछे हटी पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी! मूली नीचे गिरी और हाय! हाय! कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटकपटक कर रोने लगी। ''जावो अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली-भर के बच्चे हैं'', गुलकी चीखी!'' दुकान दैके हम बिपता मोल लै लिया, छन-भर पूजा-भजन में भी कचरघांव मची रहती है!'' अन्दर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया, खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूंकने, 'लेफ्ट राइट! लेफ्ट राइट!' चौराहे पर तीन-चार बच्चों का जूलूस चला आ रहा था। आगे-आगे दर्जा 'ब' में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की सण्टी को झण्डे की तरह थामे जलूस का नेतृत्व कर रहे थे, पीछे थे मेवा और निरमल, जलूस आकर दुकान के सामने रूक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी।

मटकी खिसकते-खिसकते बोली, ''हमके गुलकी मारिस है। हाय! हाय! हमके नरिया में ढकेल दिहिस अरे बाप रे!'' निरमल, मेवा, मुन्ना, सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेलकर सबको पीछे हटा दिया और सण्टी लेकर तनकर खड़े हो गए। ''किसने मारा है इसे!''

''हम मारा है!'' कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा,'' का करोगे? हमें मारोगे! मारोगे!''

''मारेंगे क्यों नहीं?'' मुन्ना बाबू ने अकड़कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया, मेवा ने पीछे जाकर कहा, ''ए कुबड़ी, ए कुबड़ी, अपना कूबड़ दिखाओं!'' ओर एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रूंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा। किन्तु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी बच्चे सब एक-एक मुठ्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात् घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ''ए मुन्ना बाबू, जात हौ कि अबहिन बहिनजी का बुलवाया के दुई-चार कनेठी दिलवाई!'' ''जाते तो हैं!'' मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा, ''ए मिरवा, बिगुल बजाओ।'' मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, ''धुतु-धुतु-धु'' जलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया। अपने देस में अपना राज!

गुलकी की दुकान बाईकाट!

नारा लगाते हुए जलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी।

गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी। यही हद से हद पच्चीस-छब्बीस, पर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थीं और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे अस्सी वर्ष की बुढ़िया हो, बच्चों ने जब पहली बार उसे मुहल्ले में देखा तो उन्हें ताजुज्ब भी हुआ थोड़ा भय भी। कहाँ से आई ? कैसे आ गई? पहले कहाँ थी? इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था ? निरमल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, ''यह मुसीबत और खड़ी हो गई मरद ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेगे। बाप अलग हम लोगों का रूपया खा गया। सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें और मरद को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाभी दी तुमने।''

''क्या छोटेपन की बात करती हो। रूपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाभी हमने दे दी है दस-पाँच दिन का नाज-पानी भेज दो उसके यहाँ।''

''हाँ-हाँ, सारा उठा के भेज देव, सुन रही हो घेघा बुआ!''

''तो का भवा बहू, अरे निरमल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही,'' घेघा बुआ की आवाज आई'', बेचारी बाप की अकेली सन्तान रही एही के बियाह में मटियामेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस की पाँचै बरस में कूबड़ निकल आवा''।

''साला यहाँ आवे तो हण्टर से खबर लूं मैं,'' ड्राइवर साहब बोले, ''पाँच बरस बाद बाल-बच्चा हुआ। अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर! साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिन्दगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई न! अब कैसे गुजारा हो उसका?'' ''बेटवा एको दुकान खुलवाय देव, हमरा चौतरा खाली पड़ा है। यही रूपया दुइ रूपया किराया दै देवा करै, दिन-भर अपना सौदा लगाया ले। हम का मना करित है? एत्ता बड़ा चौतरा मुहल्लेवालन के काम न आई तो का हम छाती पर धै लै जाब! पर हाँ, मुला रूपया दै देव करै''।

दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीमजी का चबूतरा पड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लम्बा था, उस पर पत्थर जुड़े थे। लकड़ी के खम्भों के पीछे किल-किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक-उचकर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान से लिए चबूतरों के खम्भों में बांस-बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किले बन्दी कर ली है। वे दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निरमल उनकी एक मात्र संवाददाता थी और निरमल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र थी उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निरमल ने सबको बताया था कि वह यह चोर है। इसका बाप सौ रूपया चुराकर भाग गया। यह भी उसके घर का सारा रूपया चुराने आई है।

''रूपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी।'' मुन्ना ने कहा, ''भगवान सबको दण्ड देता है।'' निरमल बोली, ''ससुराल में भी रूपया चुराए होगी। '' मेवा बोला, ''अरे कूबड़ थोड़े है! ओही रूपया बांधे है पीठ पर, मनसेधू का रूपया है।''

''सचमुच?'' निरमल ने अविश्वास से कहा, ''और नहीं क्या कबूड़ थोड़ी है। है तो दिखावै। '' मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुनवाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से-सह रही थी, ''अच्छा किया तुमने! मेहनत से दुकान करो। अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहाँ। हरामजादा, दूसरी औरत कर ले, चाहे दस ओर कर ले। सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझझे। इसी चाकू से दोनों आँखे निकाल दूंगी!''

बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते-चलते सत्ती बोली, ''कभी रूपय-पैसे की जरूरत हो तो बताना बहिना!''

कुछ दिन बच्चे डरे रहे पर अकस्मात् उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया। पर कर क्या सकते थे। अन्त में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे। उसको उन्होंने संशोधित किय। मटकी को लैमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए।

''कुबड़ी-कुबड़ी का हेराना?''

''सुई हिरानी''

''सुई लैके का करबे''

''कन्था सीबै!''

''कन्था सी के का करबे?''

''लकड़ी लाबै!''

''लकड़ी लाय के का करबे?''

''भाता पकइब!''

''भाता पकाए के का करबै?''

''भात खाबै!''

''भात के बदले लात खाबै।''

और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंट के बल गिर पड़ती, उसकी कोहनिया और घुटने छिल जाते, आँख में आंसू आ जाते और ओंठ दबाकर वह रूलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, ''मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को''। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती।

एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जबाब दे, उन्होंने अनचिते में इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कुहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौंह। खुन से लथपथ हो गए। वह ''हाय! हाय!'' कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात् उन्होंने देखा की गुलकी उठी। वे जान छोड़ भागे। पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है, या क्या कर रही है कि वे अकस्मात् उस पर टूट पड़े गुलकी की चीखे सुनकर मुहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बार बिखरें है और दांत से खून बह रहा है, अधउघारी चबूतरे से नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेघा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़कर बोली, ''औकात रत्ती भर नै, और तेहा पौवा-भर। आपन बखत देख कर चुप नै रहा जात। कहे लड़कन के मुंह लगत हो?'' लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली। जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई।

उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शान्त रहे, आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई और जब नारा लगाते जूलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का हैं गल्ली के राक्षस हैं!''घेघा बुआ बोलीं,'' अरे उन्हें काहै कहो बुआ! हमारा भाग भी खोटा है!'' गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा..... इस बार जो झड़ी लगी तो पाँच दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए, बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी, कभी नहीं, राम-राम करके तीसरे पहर झड़ी बन्द हुई। बच्चे हकीमजी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निरमल ने टपकी हुई निमकौड़ियाँ बीनकर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ''ले खीरा, आलू, मूली, घिया, बण्डा!'' थोड़ी देर में काफी शिशु-ग्राहक दुकान पर जुट गए। अक्स्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा बच्चों ने घूमकर देखा मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिलकुल उसकी आँखों में आँखे डालकर गा रहा है।

तुरन्त मेवा गया और पता लगाकर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक-एक अधन्ना दिया है दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे है। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, ''निरमल! मिरवा-मटकी को एक भी निमकौड़ी मत देना। रहें उसी कुबड़ी के पास!''

''हाँ जी!'' निरमल ने आँख चमकाकर गोल मुंह करके मुँह करके कहा, ''हमार अम्मां कहत रहीं उन्हें छुयों न! न साथ खायों, न खेलो उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आक थू!'' मन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया।

क्रमशः

हमारा स्वास्थ्य

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट जारी

आसना, श्रमयोग

हाल ही मे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण-5 (एन.एफएच.एस.) ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा जारी किया है, जिसमें 17 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया हैं। इसमें महाराष्ट्र, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आध्र प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, हिंमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, तेंलगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरला, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप शामिल हैं। इन 22 राज्यों में देश की आबादी का आधा हिस्सा रहता हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 का सर्वेक्षण भी एन एफएच एस -4 मे तय किये गये संकेतकों का आधार पर ही किया गया ताकि उनमें तुलना की जा सके। हालांकि इस बार कुछ नये संकेतक जैसे स्कूल पूर्व शिक्षा, शौचालय, मृत्यु पंजीकरण, महिलाओं में मासिक के दौरान साफसफाई की पद्धति, रक्त चाप व डायबीटिज भी जोडे गये। सर्वेक्षण में कुल 130 संकेतकों हेतु आकड़े एकत्र किये गये। इस सर्वे के लिये आंकड़ो का संग्रहण 2014-19 के बीच किया गया।

सर्वे के परिणाम बता रहे हैं कि अधिकतर राज्यों में बच्चों में कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत से राज्यों में कुपोषण की समस्या पिछली बार से बढ़ गई है। बाल मृत्यु दर मे कमी आई है। सर्वे में चौकाने वाली बात निकल कर आयी है कि बच्चों में बौनेपन की प्रवृति बढ़ रही है। गोवा, केरल, तेलंगाना, गुजरात व महाराष्ट्र में बच्चे उम्र के मुताबिक लम्बाई प्राप्त नहीं कर पा रहे है।

सर्वे में पाया गया है कि कई राज्यों में बच्चों में उनकी लम्बाई के अनुपात में वजन कम पाया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आसाम व केरला में बच्चो मे कम वजन होने की समस्या बढ़ रही है।

सर्वे में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण भारत में 10 मे से 3 व शहरी भारत में 10 मे से 4 महिलाओं ने कभी न कभी इन्टरनेट का उपयोग किया है। शहरी भारत में 73.76 प्रतिशत पुरूषों के विपरीत 56.81 महिलाओं व ग्रामीण भारत में 55.6 प्रतिशत पुरूषों के विपरीत 33.94 प्रतिशत महिलाओं ने कभी इन्टरनेट उपयोग किया। इससे भारी लैंगिग असमानता दिख रही है।

कई राज्यों जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल व बिहार में कम उम्र में विवाह की समस्या बढ़ रही है। कई राज्यों जैसे सिक्किम, मिजोरम, बिहार, आसाम व मनिपुर में बच्चे के जन्म पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है कई राज्यों में कम उम्र में गर्भवती होने की समस्या भी बढ़ रही है।

कम्पनी के बाहर चस्पा नौकरी का पोस्टर

बिजू, देहरादून

जरूरत है
कुछ हाथों की
सिर्फकुछ हाथ और पैरों की
और जो लम्बे समय से बेरोजगार हों
जिनके चूल्हे लम्बे समय से मंद हो रहे हों
आखिर हमें उनका भी तो सोचना है!
जरूरत है
कुछ हाथ और पैरों की
दिमाग की नहीं
न ही विवेक की
दरअसल हमें जरूरत ही कम पढ़े-लिखों की है।
जरूरत है
कम पढ़े-लिखों की
और अधिक बेरोजगारों की जो सिर्फअपने काम से काम रखें,
जो कहा गया हो करने को
उसके तर्क को समझने में समय जाया न करें
या उन सभी सारी शंकाओं में ही-
जैसे बातों के पीछे की बाते,
निति के गहरे नियत।
वे ही आएं
जिन्हे काम ही सख्त जरूरत हो
जो स्वीकार कर लें
कोई भी काम
कोई भी पगार
बिना अपनी किसी शर्त पर और सभी कंपनी की शर्तों पर।
जिनका अहम् आड़े न आये।
जो कोई भी महत्वकांक्षा पालना
कभी का छोड़ चुके हों
कोई भी सपना देखना।
ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है
जिनपे विकल्प न हो
उन्हें हमारे यहाँ
यह विकल्प है।

प्राकृतिक चिकित्सा का सातवां सिद्धान्त

''जीर्ण रोगी के आरोग्य में अधिक समय लगता है''

संकलनकताः शंकर दत्त

शारीरिक या मानसिक रोग अगर पुराना हो तो जीर्ण रोग कहलाता है। यह तीव्र रोगों को गलत ढंग से निदान किये जाने पर भी होते हैं। जैसे पेट में तीव्र दर्द होने के कई कारण हो सकते है। लेकिन आजकल हम बिना किसी चिकित्सा सलाह या बिना शारीरिक परिक्षण के दर्द की दवा खा लेते है। उस समय तो दर्द ठीक हो जाता है किन्तु असल कारण वहीं शरीर में बना रहता है और धीरे-धीरे गम्भीर रूप लेकर जीर्ण रोग बन जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते है शरीर में जीर्ण रोग होने के। जैसे लगातार गलत खान-पान से पेट की तकलीफ, चिन्ता से अन्त:श्राव ग्रन्थियों में असन्तुलन से हारमोनल बदलाव, गलत तरीके से उठने-बैठने से हड्डीयों के रोग आदि। प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगों के निदान की प्रक्रिया अन्य चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न है। इसलिए इस चिकित्सा में जीर्ण रोगों की चिकित्सा में समय लगता है।

अगर हम इसे इस तरह समझें जैसे आजकल बहुत से लोग पाचन तन्त्र से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, ऐसीडिटी, अलस्टर, बबाशीर आदि रोगो से ग्रसित रहते है और लगातार इनकी दवाईयाँ खाते रहते हैं। ये सब जीर्ण रोग हैं। जिसका असल कारण कुछ और होता है और निदान कुछ और चलता रहता है। वास्तव में पेट से जुड़ी समस्या के लिए पूरे गैस्ट्रोइनटसटाइनल पद्धिति का निदान होना होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका तब तक निदान करना होता है जब तक यह एक साम्य स्थापित न कर ले या अपने प्राकृतिक रूप में न आ जाए। प्रकृतिक रूप को समझने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ लक्षण निर्धारित किये गये हैं। जिन्हें पाने का लक्ष्य निर्धारित कर निदान होता है। इसमें एक बात यह भी ध्यान देने की है कि प्रत्येक शरीर अलग है इसलिए यह निश्चित नहीं होता कि हर किसी को एक समान रूप से निदान दिया जाय। निदान शरीर के प्रकार, गुण एवं जीर्ण रोग की स्थिति को देखकर किया जाता है।

सामान्य रूप से अगर हम पेट कि अम्लता या एसिडीटी की बात करें तो कम्पनियाँ दावा करती हैं कि 5 सेकेण्ड में एसिडीटी खत्म। एक गोली या पुडिया खाओ और ठीक हो जाओ। इस प्रकार हम रोगों का दमन करते हैं। परहेज न कर दवा खाने से रोगों का शमन हो जाता है या वो थोड़े समय के लिए ठीक होने का अहसास होता है। किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा में एसिडिटी के निदान हेतु कम से कम 45 दिन की निदान प्रक्रिया होती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का यह सिद्धान्त कहता है कि जीर्ण रोगों का निदान समय लगाकर करना चाहिए नही तो उनका निदान नहीं दमन या शमन ही होता है।

''महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति, राजघाट, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित लेखों पर आधारित''

खबरें कार्य क्षेत्र से

श्रमयोग संस्थान सोसायटी पंजीकरण एक्ट के तहत पंजीकृत एक जन संस्थान है। श्रमयोग के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य व देश के अलग-अलग हिस्सों में जन समुदायों के साथ मिलकर विकासात्मक गतिविधियों को अन्जाम दिया जाता है। यहाँ श्रमयोग के कार्य क्षेत्र की खबरें दी जा रही है। बच्चे अपने क्षेत्र में बढ़लते तापमान पर नजर रख रहे हैं। यहां उनकी अभिव्यक्ति को स्थान दिया जा रहा है।

– सम्पादक

कार्यक्षेत्र से रिपोर्ट

नैनीडांडा क्लस्टर

आसना, औंलेथ

जिस तरह से पिछला वर्ष 2020 गुजरा है वैसा 2021 न गुजरे, सभी लोग स्वस्थ बने रहें, सभी खुश रहें, 2021 में सभी की यही दुवायें हैं। इन सभी दुवाओं व शुभकामनाओं के साथ नैंनीडॉडा ब्लाक में गठित स्वयं सहायता समूह की बैठक प्रारम्भ हुई। पिछले माह दिसम्बर में सभी सदस्याओं ने श्रमयोग के साथ अपनी-अपनी यात्रा बैठक में साझा की थी और इन सालो में क्या सीखा ये भी सदस्याओं द्वारा बताया गया। जैसे - संगठन में जुड़ना व उसकी ताकत को समझना, मिल कर कार्य करना, विभागों के साथ बात करना, आपसी परिचय देना, किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात कर लेना इत्यादि। सदस्याओं ने बताया कि पहले वो एक दूसरे की बाखली में तक नहीं जाती थीं। अब व्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

इन समूहों के साथ महिलाओं ने रचनात्मक महिला मंच भी गठित किया। कृषि विभाग ,उद्यान विभाग के साथ भी सम्पर्क मजबूत बन रहे हैं। कृषि विभाग के साथ मिल कर अब तक चार भ्रमण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। अभी हाल में आठ जनवरी को सदस्याऐं एक बार पुन: कृषि विभाग की तरफ से पटेलिया गाँव गयी। जहाँ पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया व सेब और अखरोट की नर्सरी भी दिखाई गयी। यह सब संगठन निर्माण से ही हो पाया।

सदस्याओं का कहना है कि - ''हम लोगों ने कभी कृषि विभाग, उद्यान विभाग नहीं देखा था पर अब हम लोग जानते हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं।'' जनवरी माह की बैठकों में सदस्याओं के सामने एक प्रश्न रखा गया कि सदस्यायें क्या सोचती हैं, उन्हे अपने समूह में क्या व किस प्रकार के रचनात्मक कार्य करने चाहिए? जिससे समूह में और गुणवता लाई जा सके। सदस्याओ का कहना था कि- गाँव में खेती और पशु पालन ही हैं जिसमें कार्य किया जा सकता हैं और कोई रोजगार का साधान भी नहीं हैं । सदस्याओं ने निणर्य लिया हैं कि हल्दी व अदरक की खेती बढ़ाई जाएगी।

चाँच एंव रथखाल क्लस्टर

राकेश, दाड़िमी

इस बार चाँच कलस्टर में रामपुर एंव देशवाल बाखली और रथखाल में हितसीमली एंव मंशुबाखली को छोड़कर बाकी सभी समूहों की बैठकों का आयोजन किया गया। सबसे पहली बैठक 5 जनवरी को झीपा में आयोजित की गयी, जिसमें महिलाओं ने इस बार अदरक के बीज की मांग की तथा साथ-साथ गोबर खाद बनाने की बात कही। 6 जनवरी को इजराल चाँच में बैठक की गयी जिसमें महिलाओं ने इस बार कौन-कौन से बीज उन्हें चाहिए इस पर चर्चा की और धारा विकास के कार्य का जायजा लिया। नौलों में पानी का डेटा कैसा आ रहा है इस पर भी बात हुई। 7 जनवरी को डौठापानी में बैठक की गयी जिसमें महिलाओं ने खेती-बाड़ी में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। जिसमें जंगली जानवरों का आंतक मुख्य मुददा था। 8 जनवरी को पौराबाखली एंव छिड़गा में बैठक आयोजित की गयी, 15 जनवरी को बिचला चाँच एंव 17 जनवरी को दाड़मी में बैठक हुई। इस बार चाँच कलस्टर के गांव पीपना में भी प्राथमिक बैठक हुई और वहाँ की 31 महिलाओं ने रचनात्मक महिला मंच से जुड़ने की इच्छा जाहिर की, अगले महिने 13 फरवरी को वहाँ समूह का गठन कर दिया जाएगा।

गिगंडे क्लस्टर

गुंजन, गिंगड़े

जनवरी माह में गिगड़े क्लस्टर के अलग अलग गॉवों में स्वयं सहायता समूह की मासिक बैठकों का आयोजन किया गया। पिछले माह समूह की बैठकों में सदस्याओं द्वारा अदरक के बीज की मॉग को लेकर जो प्रश्न थे उन्हें उद्यान विभाग से जानकारी प्राप्त कर सदस्याओ के साथ साझा किया गया। बैठकों में समूह की जिन सदस्याओ ने श्रम उत्पाद में प्रतिभाग किया था उन्हें समूह की अध्यक्षा द्वारा भुगतान किया गया। सदस्याओं के साथ श्रमयोग के एक दशक पूरा होने पर श्रमयोग की यात्रा के दस साल के अनुभवों को साझा किया गया जिसमें सदस्याओ ने अपने अपने समूह की यात्रा के अनुभवो को साझा किया।

ब्लाक स्तर पर रचनात्मक महिला मंच की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। गाँव स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव महिलाओं के उपर सकारात्मक रहा, साथ ही साथ सदस्याओ द्वारा बढते जंगली जानवरो के आतंक व सीमित होती खेती को लेकर भी बातचीत की गई। सदस्याओं द्वारा आजीविका संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे सिलाई, अचार, कनार के पत्तो के दोने बनाने का प्रशिक्षण लेने की बात की गई।

प्रण स्वयं सहायता समूह ग्राम उज्लकना की सदस्या सरस्वती देवी द्वारा रचनात्मक महिला मंच नैनीडांडा द्वारा दिये गये बीजो में से धनिये का बीज लिया गया व अमन शक्ति स्वयं सहायता समूह ग्राम गिंगडे की सदस्याओं द्वारा तोर, छिमि, चौलाई का बीज लिया गया। स्वयं विकास स्वयं सहायता समूह ग्राम रिक्रासी व संगम स्वयं सहायता समूह ग्राम ड्यौना की जिन सदस्याओ ने आंतरिक ऋण लिया था उन सदस्याओं द्वारा समूह की मसिक बैठकों में ब्याज व मूलधन लैटाया गया।

बाल मंच के पर्यावरण चेतना केन्द्रों की रिपोर्ट

दिनाँक	प्रात: 06:00 बजे का तापमान (सेन्टीग्रेड में)			सांय 06:00 बजे का तापमान (सेन्टीग्रेड में)		
	गिगड़े (सल्ट)	औंलेथ (नैनीडांडा)	चांच (सल्ट)	गिगड़े (सल्ट)	औंलेथ (नैनीडांडा)	चांच (सल्ट)
1 जनवरी	13	*	9	13	*	10
2 जनवरी	12		9.5	11		8
3 जनवरी	13		10	13		8.5
4 जनवरी	13		9	13		7
5 जनवरी	14		7	11		8
6 जनवरी	14		9.5	12		8
7 जनवरी	13	तापमापी खराब होने की वजह से तापमान रिकॉर्ड नहीं हो सका।	9	11	तापमापी खराब होने की वजह से तापमान रिकॉर्ड नहीं हो सका।	8.5
8 जनवरी	13		10	14		11
9 जनवरी	12		10	13		9
10 जनवरी	14		11	14		10
11 जनवरी	13		10	13		9.8
12 जनवरी	15		9	14		8
13 जनवरी	13		9.5	14		6
14 जनवरी	12		10.5	14		11
15 जनवरी	13		15	13		12
16 जनवरी	14		10	14		9
17 जनवरी	14		9	13		9.5
18 जनवरी	13		8.5	13		9
19 जनवरी	14		8	12		9
20 जनवरी	13		7.5	11		9.5
21 जनवरी	11		9	12		10
22 जनवरी	13		10	12		7
23 जनवरी	12		15	11		14.5
24 जनवरी	10		13	10		15
25 जनवरी	10		14	10		14.5
26 जनवरी	11		13.5	10		13
27 जनवरी	9		12	11		12
28 जनवरी	10		9	10		10.5
29 जनवरी	11		10	11		9
30 जनवरी			11.5			12
31 जनवरी			10			11.5

वर्षा - गिंगड़े (सल्ट) 05 जनवरी 11.9(मि0मी0) 06 जनवरी 5.5(मि0मी0)

आखिर क्यों ? मेरे हिस्से में हर बार सिर्फ माँ आई

प्रकाश काण्डपाल

मैं एक किसान हूँ। भारत देश का किसान। इस माटी का सच्चा सेवक, प्रकृति को जीने वाला, निहायती मेहनती और फल की चिंता किऐ बिना निष्काम भावना के साथ कर्मठ। मैने इस देश को भारत माता कहा और पृथ्वी को धरती माँ (क्योंकि मुझे नीति ने बचपन से यही सिखाया था)। जब-जब धरती पर प्राकृतिक या मानवीय संकट आया, मैं न्यौछावर हो गया। क्योंकि संघर्ष मेरी फ्तिरत में है। मैं सदैव खोजी प्रवृत्ति का रहा क्योंकि सभ्यता के विकास में मेरा सबसे अहम योगदान है। मैंने व्यक्ति को खाना बदोशी से बाहर निकालकर उसके ठौर-ठिकाने को पक्का किया। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी के माध्यम से प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को संतुलित किया। अन्यथा तो आज विश्व के 777 करोड़ लोग पृथ्वी पर प्रलय मचा देते। अब तक इंसान ने धरती पर शेष कुछ ना छोड़ा होता। ई0पू0 से लेकर वर्तमान तक मैंने ही सबसे अधिक संघर्ष किया। मैंने प्रकृति के प्रहार को झेला और उसको चुनौती भी दी। मैंने कबीलों के दौर से साम्राज्यों के दौर तक आक्रांताओं की लोलुप विस्तारवादी नीतियों का परिणाम वहन किया। मैनें खेती किसानी के साथ जंगे-मैदान में भी लोहा लिया और अपने राज्यों की रक्षा की। सेठ-साहूकारों ने जब भी उन पर खतरा आया (जोशिले नारों के साथ मातृभमि पर फनाह हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म है सिखाकर) मुझे आगे कर दिया। मेरे ही अंश को सैनिक कहकर उसे सीमा पर भेज दिया। पूंजीपतियों ने बड़े ही आराम से राज्य सत्ता के माध्यम से मुझे मेरे अपनों से अलग कर दिया। सेवा के नाम पर मेरे परिवार के सदस्यों को तितर-बितर कर मेरा संगठन तोड़ दिया गया जबकि उनका परिवार संगठित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कार्य को आगे बढ़ाते रहे। उनके पास पूंजी की ताकत थी और उन्होंने खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने चाटूकारों राजकर्मियों के माध्यम से मुझे बांट दिया।

मैं जब भी संगठित हुआ तो मैंने राज्य सत्ता के खिलाफ कई आन्दोलन व विद्रोह किऐ, अपना हक मांगा। आरम्भ से ही राज्य सत्ता मुझसे आनाज व कर वसूस कर खुद को मजबूत करती आई है। मैंने अंग्रेजी हुकुमत के दौरान सबसे अधिक संघर्ष किया और बड़े विद्रोह किये। 1857 का विद्रोह जब असफल होने लगा तो मैंने ही मोर्चा संभाला, 1859 का नील विद्रोह, 1857 (महाराष्ट्र) में रामोसी किसानों का विद्रोह, 1872 में पंजाब का कूका विद्रोह, 1920 में केरल का मोलया विद्रोह, 1946 में तिभागा आन्दोलन जिसमें 50 लाख किसान सम्मिलित हुए थे इत्यादि कई बडे आंदोलन कर ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ आंदोलन किया। आजादी बाद भी सेठ, व्यापारियों की नजर मेरी जमीन पर पड़ गई। उन्हें मेरा संघर्ष नहीं दिखा वरन मेरी जमीन व मेरी खून पसीने द्वारा उगाई गई फसल पर कारोबार दिखा। मैं कई बार परिवार सहित भूखा सोया, मेरे तन पर वस्त्र नहीं थे। कई बार मैंने विवशता में परिवार सहित आत्मघात कर लिया किन्तु भेड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे मेरे अपनों से बेदखल करना उनकी नीति मे सम्मिलित है।

मैं खेतों में लड़ा और मेरा भाई/बच्चा सीमा पर। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जब तात्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान-जय किसान कहा तो कुछ लोगों का ध्यान मेरे परिवार की तरफगया। क्योंकि जवान और किसान एक ही परिवार के दो व्यक्ति थे। मुझे बांटने के लिए मेरे भाई को सम्मान मिला, नाम मिला कुंछ सहायता भी दी गई। किन्तु मैं सदैव उपेक्षित ही रहा (जानबूझ कर ऐसा किया गया)। उसका जाना वीरगति कहलाया और मेरा जाना आत्महत्या। जब वह लड़ रहा था तो मैने खेतों में प्रकृति से लड़ाई की। क्योंकि मैं जानता था वह बिना हथियार के लड़ सकता है किन्तु बिना अनाज के नहीं।

मैं लड़ा, मरा, कभी उत्पादन बढ़ाने के नाम पर मेरे खेतों को रसायनों से भर दया गया क्योंकि उस वक्त उन्हें रसायनों का करोबार करना था और जब मेरी जमीन बांझ होने लगी तो पुन: जैविकता के नाम पर अपना बीज और व्यापार नीति थोप दी गई। मैं तब भी असहाय था और आज भी उसी अवस्था में हूँ। दुख इस बात का है कि पहले मेरा परिवार मेरे साथ था। मैं संगठित था। आज मेरा परिवार सेवक है और मैं अकेला अपना हक मांग रहा हूँ। मेरा प्रश्न सबसे और खुद से भी है कि मैं सिर्फ संकट के समय ही क्यों याद आया?

आंखिर क्यों? मेरे हिस्से में हर बार सिर्फ माँ आई।

चाँच धारा विकास कार्यक्रम

24 जनवरी, 2020						
स्रोत का नाम	पी0एच0			टी0डी0एस0		
	पहली रीडिंग	दूसरी रीडिंग	तीसरी रीडिंग	पहली रीडिंग	दूसरी रीडिंग	तीसरी रीडिंग
डौठा पानी नौला	6.7	6.7	6.7	25	25	25
धारा पानी	7.1	7.1	7.1	39	39	39
शिव मन्दिर नौला	7.1	7.1	7.1	39	39	39
हैंड पंप नौला	6.7	6.7	6.7	38	38	38

किसान सत्याग्रह को उत्तराखण्ड नागरिकों का हस्ताक्षर समर्थन

देशभर के किसान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने व न्यूनतम समर्थन मूल्य का नया कानून बनाने की मांग को लेकर पिछले लगभग दो माह से आन्दोलनरत हैं। उत्तराखण्ड के नागरिकों द्वारा इस किसान सत्याग्रह के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान के लिये निम्न ज्ञापन तैयार किया गया है:-

भारतीय परम्परा में किसान को अन्नदाता क्यों कहा गया है, इसका सर्वोत्तम सबूत हमें बीते वर्ष में देखने को मिला, जब देश में कोविड-19 के चलते मार्च में एकाएक, बगैर पूर्व-सूचना व तैयारी के, तालाबंदी कर दी गयी। तब से अब, पूरे दौरान, अगर किसान व उनकी मेहनत की फसल न होती, तो पूरे देश में भूख, अकाल व अशांति की स्थिति हो सकती थी। इसमें कोई दोराय नहीं है और हम कहना चाहते हैं कि हम किसानों के पहले भी और अब अधिक आभारी व ऋणी हैं और मानते हैं कि आभार का यह भाव पूरे देश और सरकारों को भी हो।

ऐसे में, हम चिंता जाहिर करते हैं कि उनका आभार इतनी जल्दी भुला दिया गया और एक फसल चक्र भी पूरा नही हुआ था कि किसान सड़क पर आने को मजबूर हो गये। बेशक, यह पहली बार नहीं हो रहा है। किसानों के सवालों, मुद्दों व मांगों की जड़े गहरी व व्यापक हैं, लेकिन उनकी तात्कालिक चिंता उन तीन कानूनों को लेकर है जिन्हें आम भाषा में कृषि कानून कहा जा रहा है, हालांकि इनका संबंध किसान ही नही बल्कि देश की पूरी जनता से है। ये तीन कानून, सरल भाषा में हैं-मण्डी व्यवस्था व सरकारी खरीद; व्यवसायिक भंडारण तथा संविदा खेती को लेकर।

हम सर्वप्रथम चिंता जाहिर करते हैं कि ये कानून ऐसे समय में, जबकि संसद ठीक से बैठ भी नहीं रही थी, बगैर किसी सार्वजनिक व संसदीय बहस के पारित किये गये। कृषि राज्यों का विषय है, केन्द्र का नहीं लेकिन राज्यों की अगुवाई में ये नहीं लाये गये, उनके साथ कोई सलाह-मशविरा तक नहीं हुआ और न ही किसानों के साथ, जिनको ये कानून सीधा प्रभावित करते हैं। इन्हे इस तरह पारित करना जनतांत्रिक मूल्यों व प्रक्रिया के खिलाफ है तथा देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। किसानों का मानना है कि इन कानूनों को बनाने में कृषि व्यापार से जुड़े कुछ बड़े व्यापारियों की ही राय ली गयी और ये कानून उन्हीं का हित साधते हैं।

पहला कानून: मण्डी व्यवस्था व सरकारी खरीद

देश में मण्डी व सरकारी खरीद की प्रक्रिया 1960 के दशक में शुरू ही इसीलिए की गयी थी कि किसानों को व्यापारियों व साहूकारों के दमघोटू चंगुल व लिखित/अलिखित बंधनों से मुक्त किया जा सके। लेकिन यह कोशिश अधूरी ही रही है- इसका पालन कुछ ही राज्यों में हुआ है। पिछले इन छः दशकों में देश भर में सिर्फसात हजार से भी कम सरकारी मण्डियां हैं जब कि विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे इतने बड़े व कृषि प्रधान देश में इनकी संख्या वर्तमान संख्या से पांच से छः गुणा होनी चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि इस पूरे दौरान मण्डी व सरकारी खरीद के ढांचे व प्रक्रिया में बहुत खामियां भी आ चुकी हैं- निर्धारित 23 फसलों में से दो-चार में ही वहां खरीद होती है; भ्रष्टाचार भी है और छोटे किसानों को शायद ही इसका लाभ मिल पाया है। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि ये शिकायतें सरकारी प्रबंधन व कार्यान्वयन में कमियों व गड़बड़ियों तथा समाज में किसानों को हाशिए पर रखे जाने की वजह से उभरी हैं, पर फिर भी, जहां भी मण्डियां हैं किसानों को उनकी उपज का मूल्य वहां से बेहतर अन्य कहीं नही मिल पाया है।

साथ ही, मण्डी व सरकारी खरीद की प्रक्रिया यदि खत्म की जाती हैं तो इसका दुष्प्रभाव आम जनता, सार्वजनिक खरीद प्रणाली, सरकारी विद्यालयों में दोपहर के भोजन, आपदा के समय में प्रभावित जन को तत्काल राहत पहुंचाने तथा अन्य कई सार्वजनिक इकाईयों व कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा।

अतः हमारा मानना है कि मण्डी व्यवस्था व सरकारी खरीद की प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है, न कि उनको खत्म करने का रास्ता खोलने की। मण्डियों की संख्या, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक होनी ही चाहिए और वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत तय सभी संभव फसलों की खरीद की जाए।

दूसरा कानून: व्यवसायिक भंडारण

हम चिंता जाहिर करते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अब किसी भी व्यापारिक इकाई को खाद्य उत्पादों की असीमित खरीद व भण्डारण की पूरी इज़ाजत दी जा रही है। अभी तक आपदा या आपातकाल के समय, सरकारें जरूरी खाद्य उत्पादों के व्यवसायिक खरीद-फ्रोख्त पर आवश्यक अस्थायी रोक लगाती थीं, लेकिन नए कानून में इस प्रावधान को लगभग हटाया जा रहा है। वास्तव में, यह कानून अब बड़े व्यापारियों को जमाखोरी व मुनाफाखोरी की खुली छूट देता है जिससे वे फसल कटते ही उसे सस्ते में खरीद लें, क्योंकि किसान को तत्काल पैसे की जरूरत होती है, और बाद में या अभाव के समय में उसे ऊँचे दाम पर बेचें। व्यापारिक गठजोड़ कृत्रिम कमी या अभाव भी पैदा कर सकते हैं और करते भी आये हैं।

तीसरा कानून: संविदा या ठेके की खेती

स्वयं पंजाब में 2002 में संविदा खेती की शुरूआत की गयी थी, जिसे किसानों के बुरे अनुभवों के कारण दस साल में ही रद्द कर दिया गया। इसका एक बड़ा कारण था कि इस तरह का कोई भी करार, दो गैर-बराबर पक्षों के बीच होता है जिसमें किसान को तो पूरे नियमों से बंधने को मजबूर कर दिया जाता है जबकि कंपनी पक्ष अपनी हैसियत व पैसे के बल पर किसी भी नियम का उल्लंघन कर देती है। नया संविदा खेती कानून, किसान को मालिक की दर्ज़े से हटाकर कंपनी का मात्र कामगार बनने पर मजबूर करता है, जो अंततः किसानों को उनकी अपनी जमीन से भी बेदखल होने का रास्ता खोलता है। साथ ही, नए कानून में संविदा के उल्लंघन को लेकर शिकायत पर फैसला करने का अधिकार उप-मंडलीय अधिकारी को दे दिया गया है, जो स्वंय सरकारी नौकर होता है, रसूकदारों के दबाव रहता है और जिससे किसान के पक्ष में फैसला लेने की बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है।

कुछ इन्ही तरह की चिंताओं को लेकर देशभर के किसान पिछले दो महीनों से ज्यादा समय से, राजधानी की दहलीज़ पर सरकार और देश से कुछ कहना चाह रहे हैं। हम उनकी इन चिंताओं को लेकर उनका समर्थन करते हैं और आग्रह करते हैं कि -

- ⇨ सरकार किसानों को पूरी जनतांत्रिक विनम्रता के साथ सुने।
- ⇨ सरकार के मंत्रियों, पार्टी के विधायकों व समर्थकों द्वारा किसानों को लेकर बदजुबानी पर रोक लगे व कार्यवाही हो।
- ⇨ सरकार अपनी पीठ से कंपनियों का जुआ उतारें।
- ⇨ सरकार अपना हठ छोड़ें और तीनों कानूनों को निरस्त करे।
- ⇨ सरकार इन तीन कानूनों को वापस लेने के बाद नये सिरे से सभी हितधारकों से खेती-किसानी व खाद्य उत्पादों से जुड़ी नीतियों व अधिनियमों पर व्यापक व गहन चर्चा कर आगे की दिशा तय करे।
- ⇨ सरकार, एक कृषि प्रधान देश में आधी से कहीं अधिक जनसंख्या व खेती-किसानी के बचे रहने तथा फलने-फूलने का रास्ता बनाए रखे।

रचनात्मक महिला मंच द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखण्ड को भेजा गया पत्र

रचनात्मक महिला मंच
हिनौला (मौलेखाल), पो0ओ0-देवायल, सल्ट, जिला-अल्मोड़ा- 244715

दिनाँक: 30-01-2021

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उत्तराखण्ड

आदरणीय भाईजी,

आपको सादर अवगत कराना है कि रचनात्मक महिला मंच सल्ट विकास खण्ड के 80 गाँवों की बहिनों का संगठन है। हमारा संगठन सल्ट विकास खण्ड की बहिनों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरन्तर रचनात्मक गतिविधियाँ कर रहा है। हमारे संगठन से जुड़ी बहिनें खेती किसानी का काम करती हैं। हम खेती-किसानी से जुड़ी अपनी अनेक समस्याओं से अवगत कराने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी बहिनों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बीच फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हमें मिलने का समय देंगे। हमारी कार्यकारणी के सदस्य (7-10 सदस्य) आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पत्र की प्रतीक्षा रहेगी।

सादर
रचनात्मक महिलामंच
सल्ट, अल्मोड़ा

रचनात्मक महिला मंच द्वारा चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान ज्ञापन

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तराखण्ड

आदरणीय भाईजी,
सादर नमस्कार!

आपको सादर अवगत कराना है कि हमारा .....स्वयं सहायता समूह ग्राम .....रचनात्मक महिला मंच सल्ट का सदस्य है। हम सल्ट विकास खण्ड के 80 गाँवों की बहिनें इस संगठन की सदस्य हैं। हमारे संगठन से जुड़ी बहिनें खेती किसानी का काम करती हैं। हम खेती-किसानी से जुड़ी अपनी अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए आपसे अपने भाई के तौर पर इसके समाधान की उम्मीद करती हैं। हमारी आपसे निम्न उम्मीदें हैं:

1. हम अपने परिवारों के पालन के लिए अन्य फसलों के साथ हल्दी, लखोरी मिर्च, चौलाई की खेती भी करते हैं। अन्य फसलें तो परिवार के भोजन की जरूरतों को पूरा करती हैं परन्तु हल्दी, लखोरी मिर्च व चौलाई हम अपने मंच के माध्यम से बेचते भी हैं। भाई जी हम आपको बताना चाहते है कि हमें इसका पर्याप्त दाम नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि इन तीनों फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (हल्दी-रू 150, लखोरी मिर्च-रू 300 चौलाई-रू 55) घोषित हो।
2. हल्दी, लखोरी मिर्च, चौलाई के न्याय-पंचायत स्तर पर कलेक्शन की व्यवस्था बने। आपके द्वारा पूर्व में ब्लॉक स्तर पर चौलाई व मड़वा के लिये यह व्यवस्था बनाई गई थी जिसका हमें लाभ भी मिला, परन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ।
3. जंगली जानवरों व आवारा पशुओं की समस्याओं से हम बहुत पेरशान हैं और इससे निजात चाहते है।

यह पत्र हम एक भाई से बहिनों के हक के रूप में आपके पास भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है आपसे मिलने आने वाली हमारी बहिनें सकारात्मक जवाब के साथ वापस लौटेंगी।

धन्यवाद।

बाल मंच का पृष्ठ

इस पृष्ठ में श्रमयोग के ``प्राकृतिक धरोहर बचाओ अभियान'' से निकली जानकारियों के साथ-साथ बाल मंच की गतिविधियों एवं बाल मंच के सदस्यों की अभिव्यक्तियों को स्थान दिया जाता है। एवं बच्चों से सम्बन्धित लेखन को स्थान दिया जाता है।

-सम्पादक

कविता

कभी-कभी मन में यह ख्याल आता है कि
लड़कियों को लड़को से कम क्यों समझा जाता है?
लडकों को कुल का वंश समझा जाता है तो
लड़कयों को बोझ क्यों समझा जाता है?
लड़को के होने पर खुशी मनाई जाती है तो
लड़कियों के होने पर शोक क्यों मनाया जाता है?
लड़को का पढ़ना-लिखना उचित समझा जाता है तो
लड़कियों का पढ़ना-लिखना गलत क्यों समझा जाता हैं?
लड़कियों को इधर-उधर जाने से रोका जाता है तो
लड़को को इधर-उधर जाते समय उनकी मर्यादाओं में
रखना क्यों नहीं सिखाया जाता है?
हैरान हूँ -दुखी हूँ
इस आजाद देश में इस छोटी सोच को बढ़ावा क्यों दिया जाता है?
अब जरूरत है इस संकीर्ण सोच को बदलने की,
अब जरूरत है महिलाओं के सशक्त बनने की,
अब हर किसी को जगना होगा और सबको जगाना होगा।
बहुत खो लिया नारी ने, अब उसे उसका हक दिलाना होगा।।
महिलाओं को खुद इसकी शुरूआत करनी होगी,
महिलाओं को खुद स्वयं को आगे बढ़ाना होगा।
उम्मीद है जल्द ही हालत बदलेंगे,
उम्मीद है अब वक्त करवट लेगा।
और नहीं रहेगी किसी महिला के चेहरे पर सिकन।।

अंजली ध्यानी, करगेत

बाल कहानी: राजू

एक नगर था। अँधेरनगरी। वहाँ के राजा अक्सर उदास रहा करते थे। उनके दरबार के सभी लोग चाहते थे कि वे खुश रहें, क्योंकि जब वे खुश रहते थे। तो उनकी प्रजा भी खुश रहती थी।

तरह-तरह के लोग उनसे मिलने आते थे और ये कोशिश करते थे कि राजा को हँसा सके। लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो जाती थी। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया। उसका नाम था -राजू। उसने राजा से कुछ इस तरह से बात की कि राजा को हँसी आ गई। बड़ा ही बुद्धिमान था वह। किसी भी बात को मजाक में कह देना उसके लिए बहुत सरल काम था। राजा ने निश्चय किया कि वे राजू को अपने पास रखेंगे।

राजू बड़े ही हँसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। उसे कभी भी किसी ने दुखी नहीं देखा था। इसीलिए उसे देखकर सभी को बड़ अच्छा लगता था।

एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने राजू के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह चीख-चीखकर रो रहा हो।

राजा तुरंत उठकर भागे। वे बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सैनिक राजू की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। राजा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वे चिल्लाए, 'छोड़ दो उसे, तुरंत!'

सैनिक घबराकर एक ओर खड़े हो गए। तब राजा ने पूछा, 'क्यों मार रहे हो इसे?'

'महाराज, यह राजू आपके सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह तो अच्छा हुआ, हमने इसे देख लिया और बाहर ले आए।' सैनिक बोले!

राजा ने कहा, 'राजू पर हमें पूरा भरोसा है। यदि इसने ऐसा किया भी है तो हमारा अपमान करने के लिए नहीं किया होगा। तुम लोग जाओ।'

सैनिक चले गए। लेकिन राजू फिर भी जोर से रो रहा था।

अब राजा को और भी गुस्सा आ गया। वे बोले, 'राजू, अब क्यों रो रहे हो? तुम सही-सलामत तो हो।'

तब राजू, बोला, 'महाराज, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए रो रहा हूँ।'

'हमारे लिए?' राजा ने आश्चर्य से पूछा।

'जी महाराज, मैं एक बात सोच-सोचकर बहुत ही दुखी हूँ। देखिए, महाराज, इन सैनिकों ने मार-मारकर मेरी क्या हालत कर दी है, जबकि मैं तो केवल कुछ पलों के लिए ही आपके सिंहासन पर बैठा था। और महाराज, आप तो कितने वर्षों से इस सिंहासन पर बैठा करते हैं। आपने कितनी ज्यादा मार सही होगी।.....अ..... उ...उ।' यह बात सुनकर महाराज को भी हँसी आ गइ। उनका सारा गुस्सा गायब हो गया।

इस माह के दिवस

12 फरवरी - डार्विन दिवस

चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के शोर्पशायर श्रेव्स्बुरी में हुआ था। उनके पिता रोबर्ट डार्विन चिकित्सक थे। उनका परिवार खुले विचारों वाला था। बचपन से ही चार्ल्स डार्विन प्रकृति और पशु-पक्षियों के व्यवहार के अवलोकन, बीटल्स की दुर्लभ प्रजातियाँ खोजने, फूल-पत्तियों के नमूने इकठ्ठा करने में अपना समय गुजारा करते थे। उनका मन स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ग्रीक, लैटिन एवं बीजगणित में नहीं लगता था। पिता रोबर्ट डार्विन, बेटे चार्ल्स डार्विन को भी अपनी ही तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भेजना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चार्ल्स का दाखिला मेडिकल कॉलेज में कराया किन्तु वहाँ भी चार्ल्स डार्विन का मन नहीं लगा और उन्होंने बीच में ही मैडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। वनस्पति शास्त्र में उनकी रुचि को देखते हुए बाद में उनका दाखिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कराया गया जहाँ से 1831 में चार्ल्स डार्विन ने डिग्री प्राप्त की। क्रम विकास के सिद्धान्त को जानने से पहले हालांकि खुद चार्ल्स डार्विन भी इंसान की उत्पत्ति को लेकर बाइबल में लिखी बात को अस्वीकार नहीं करते थे किन्तु जीव-जन्तुओं, पेड़ पौधों के बारे में उनकी विशेष रूचि और अपनी वैज्ञानिक सोच के चलते जब वे प्रकृति के विकासवाद को जान पाए तो उन्होंने इंसानों और जीव-जन्तुओं मे होने वाले विकास को न सिर्फ स्वयं स्वीकार बल्कि इस सिद्धान्त को दुनिया के सामने भी रखा।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चार्ल्स डार्विन के प्रोफेसर हेन्सलों चार्ल्स डार्विन के कार्यों विशेषकर प्रकृति में उनकी विशेष रूचि और लगाव को देखकर बहुत प्रभावित थे। जिसके चलते उन्होंने समुद्री जहाज एचएमएस बीगल पर चार्ल्स को प्रकृतिवादी के पद पर नियुक्ति के लिए ऑफर दिया, हालांकि चार्ल्स के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे किन्तु चार्ल्स डार्विन ने इस पद को स्वीकार कर लिया। 1831 से 1836 तक बीगल जहाज पर चार्ल्स डार्विन की 5 वर्ष की समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने कई महाद्वीप का भ्रमण किया उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी। इस समुद्री यात्रा के दौरान डार्विन ने जगह-जगह घूमकर वहाँ के जीव जन्तु, इंसान और पेड़-पौधों के जीवन और समय व वातावरण के साथ उनके बदलाव पर कई तरह की नई जानकारियाँ और तथ्य इकठ्ठे किए।

एचएमएस बीगल पर यात्रा के बाद लगभग 20 साल तक चार्ल्स डार्विन ने पौधों और जीवों की प्रजातियों पर सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उसके बाद जीव-जन्तुओं में क्रम विकास के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर 1858 में इसे दुनिया के सामने रखा। 1859 में क्रमविकास के सिद्धान्त पर आधारित चार्ल्स डार्विन की लिखी पुस्तक 'जीवजाति का उद्भव' प्रकाशित हुई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस किताब में डार्विन ने मानवी विकास की प्रजातियों का विस्तार से वर्णन किया था।

डार्विन ने बताया क विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे और जीव-जन्तु पहले एक जैसे ही होते थे, पर संसार में अलग-अलग जगह की भौगौलिक परिस्थियों और वातावरण के कारण उनकी रचना में धीरे-धीरे परिवर्तन होता गया और इस विकास के फलस्वरूप एक ही जाति के पौधों और एक ही जाति के जीव-जन्तुओं की कई प्रजातियाँ बनती गई। मनुष्य के पूर्वज भी किसी समय बंदर हुआ करते थे, पर कुछ बंदर अलग होकर अलग जगहों पर अलग तरह से रहने लगे और तब उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका क्रमिक विकास होता गया जिससे धीरे-धीरे उनमें बदलाव होते गए और वे बंदर से मनुष्य बन गए।

अमृत गोस्वामी

27 फरवरी - विश्व एन0जी0ओ0 दिवस

विश्व स्तर पर 27 फरवरी को विश्व एन0जी0ओ0 दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हर साल दुनिया भर के उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने समर्पित होकर अच्छे कार्यो में योगदान दिया। साथ ही यह दिन दुनिया भर में मौजूद सभी क्षेत्रों के गैर सरकारी संगठनों की उपलब्धियों और सफलता को सबके सामने लाता है। यह दिन समाज में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के महत्व को दर्शाता है।

विश्व एन0जी0ओ0 दिवस मनाए जाने का विचार 2009 में कानून के एक छात्र मार्किस लियर्स स्काडमैनिस ने किया था। जिसे मनाए जाने की आधिकारिक रूप से घोषणा 17 अप्रैल 2010 को 12 देशों द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 27 फरवरी 2014 को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी।

ई-कचरा प्रबन्धन

एक कदम स्वच्छ पर्यावरण की ओर

ई-कचरा क्या है?

अनुपयोगी इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिक सामान जैसे कंप्यूटर, सी0पी0यू0, प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस, मोबाइल फोन, चार्जर, डिस्क, रेडियो, टेलीविजन, एयर कंडीशन, एल0ई0डी0 बल्ब इत्यादि ई-कचरा कहलाता है।

क्या आप जानते हैं?

हमारा देश अमेरिका, चीन, जापान व जर्मनी के बाद दुनिया का पॉचवां सबसे ज्यादा ई-कचरा पैदा करने वाला देश है। वर्ष 2019 में हमारे देश में 53.6 मिलियन टन ई-कचरा पैदा हुआ, जिसमें से सिर्फ17 प्रतिशत ई-कचरा ही रीसायकल किया जा सका। ई-कचरे का उचित प्रबन्धन न होने से यह न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, इससे मनुष्यों में स्वास्थ सम्बन्धी अनेक समस्याएँ भी पैदा होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2016 में ई-कचरे के प्रबन्धन के लिये दिशा निर्देश जारी किये, जिसमें सम्बन्धित पक्षों की निम्न जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

ई-कचरे के बारे में सम्बन्धित पक्षों की जिम्मेदारियां

- किसी भी इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिक सामान के उत्पादक अपने उत्पाद के ई-कचरा बनने पर उसे उपभोक्ता से वापस लेंगे।
- इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिक सामान के दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में ई-कचरा वापस लेने की व्यवस्था करेंगे व ई-कचरे के एवज में योजनानुसार उपभोक्ता को धनराशि का भुगतान करेंगे।
- क्लेक्शन सेन्टर उत्पादक, रीसायकलर अथवा डिसमेन्टलर की तरफ से ई-कचरा एकत्र कर सकेंगें व ई-कचरे का उचित मूल्य उपभोक्ता को देंगे।
- उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि ई-कचरे को क्लेक्शन सेन्टर में जाकर जमा करें।

हम अपने जिले को ई-कचरा मुक्त जिला बनायेंगे। इसलिये विकास खण्ड स्तर पर चार ई-कचरा क्लेक्शन सेन्टर खोले जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना ई-कचरा क्लेक्शन सेन्टर पर ही दें एवं ई-कचरे का उचित मूल्य प्राप्त करें।

निवेदक

सोसायटी ऑफपॉल्यूशन एवं ऍनवायरमेण्ट कन्जर्वेशन सांइटिस्ट्स

115, किशन नगर, देहरादून

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शंकर दत्त ने नौटियाल प्रिंटर्स ग्राम माजरी माफी, मोहकमपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कर ग्राम श्यामपुर, पो0 अम्बीवाला, प्रेमनगर, देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

सम्पादक-अजय कुमार

सभी पद अवैतनिक हैं।

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा)